राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 1479/2005 (160/2001)/झुंझुनूं

पन्नाराम पुत्र म्हादा जाति जाट (मृतक) जरिये वारिसान –
1. रामप्यारी पत्नी स्व. श्री पन्नाराम
2. दीपचन्द पुत्र स्व. श्री पन्नाराम
3. रामनिवास पुत्र स्व. श्री पन्नाराम
   समस्त जाति जाट निवासी मनरूपपुरा, तह. व जिला झुंझुनूं
4. सावत्री पत्नी श्री जगदीश पुत्री स्व. श्री पन्नाराम
   निवासी सुरतपुरा तहसील राजगढ़ जिला झुंझुनूं .....प्रार्थीगण.

बनाम

उप पंजीयक मलसीसर. .....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री भवानी सिंह रावत, अभिभाषक .....प्रार्थीगण की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29/4/2014

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) बीकानेर कैम्प–झुंझुनूं (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 20/99 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 11.10.2000 के विरूद्ध भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 56 के तहत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी पन्नाराम पुत्र श्री म्हादा द्वारा अपने स्वामित्व की पैतृक सम्पत्ति खसरा नम्बर 14 व 18 ग्राम मनरूपपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा का आधा हिस्सा, अपने सगे भाई श्री गुगनराम पुत्र श्री म्हादा के हक में त्याग करते हुए निष्पादित दस्तावेज पंजीयन हेतु उप–पंजीयक मलसीसर के समक्ष दिनांक 6.5.99 को प्रस्तुत किया गया।

इसी प्रकार श्री गुगनराम पुत्र श्री म्हादा द्वारा अपने स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 10, 11 व 12/2 ग्राम मनरूपपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा का आधा हिस्सा, अपने सगे भाई श्री पन्नाराम पुत्र श्री म्हादा के हक में त्याग करते हुए निष्पादित दस्तावेज पंजीयन हेतु उप–पंजीयक मलसीसर के समक्ष दिनांक 6.5.99 को प्रस्तुत किया गया।

लगातार.....2

उप—पंजीयक द्वारा उक्त दस्तावेजों को विनिमय—पत्र मानते हुए, उचित मार्गदर्शन हेतु प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को रेफर किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी अधीन आदेश दिनांक 11.10.2000 से प्रश्नगत दस्तावेजों से दोनों भाईयों द्वारा अपनी पैतृक सम्पत्ति एक—दूसरे के हक में त्याग किये जाने के कारण, मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 31 के तहत आना अवधारित करते हुए, बड़े हिस्से के बाजार मूल्य पर आर्टिकल 23 अनुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता मानी गई एवं बड़े हिस्से की मालियत रूपये 2,77,450/— निर्धारित करते हुए इस पर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 27,545/—, पंजीयन शुल्क रूपये 2575/— एवं शास्ति रूपये 4880/— कुल रूपये 35000/— का आरोपण किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना—पत्र मय शपथपत्र सहित प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी एवं इनके सगे भाई द्वारा अपने स्वामित्व की पैतृक सम्पत्ति का अपने सगे भाई को हकत्याग किया गया है, जिस पर मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल 55 अनुसार रूपये 100/— की देयता बनती है, जो प्रार्थी व उसके भाई द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के साथ अदा की जा चुंकी है। इस प्रकार प्रकरण में किसी प्रकार की देयता नहीं होते हुए भी कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रश्नगत दस्तावेजों को विनिमय—पत्र की श्रेणी में मानते हुए प्रार्थी के विरूद्ध मांग कायम किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

विद्वान अभिभाषक का यह भी कहना है कि निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब के यथेष्ट एवं क्षमा योग्य कारणों सहित मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर दिया गया है। अतः मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में उल्लेखित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए प्रार्थी की निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जावे। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि हकत्याग दस्तावेज के द्वारा हकत्यागकर्ता द्वारा किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं किया जाता है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही हकत्यागकर्ताओं द्वारा अपना—अपना हिस्सा एक—दूसरे के पक्ष में हकत्याग किया गया है। इस प्रकार दोनों ही पक्षकारों को अपना—अपना प्रतिफल प्राप्त हो चुका

लगातार.....3

है। अतः प्रश्नगत दस्तावेज विनिमय–पत्रों की श्रेणी में आने के कारण इन पर मुद्रांक अधिनियम की आर्टिकल 31 अनुसार मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है। कलेक्टर (मुद्रांक) ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए ही निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय दिनांक 11.10.2000 के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व की पैतृक सम्पत्ति का अपने सगे भाई को हकत्याग किया गया है, इसी प्रकार श्री गुगनराम द्वारा भी अपने स्वामित्व की पैतृक सम्पत्ति का अपने सगे भाई (प्रार्थी) को हकत्याग किया गया है। उक्त दोनों दस्तावेज एक ही दिनांक को पंजीयन हेतु उप–पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि दोनों भाईयों द्वारा निजी हितार्थ अपने–अपने हिस्से का आदान–प्रदान किया गया है, इस प्रकार दोनों ही पक्षकारों को अपनी–अपनी सम्पत्ति का प्रतिफल भी प्राप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता कि सगे भाई द्वारा अपने पैतृक सम्पत्ति का हकत्याग किये जाने के कारण इस पर तत्समय प्रभावी राजस्थान मुद्राक कानून (एडप्शन) अधिनियम 1952 की द्वितीय अनुसूची के आर्टिकल 55 अनुसार रूपये 100/– मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है। प्रस्तुत प्रकरण स्पष्ट रूप से मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 31 से कवर्ड होता है, जिसके अनुसार आदान–प्रदान किये गये हिस्सों में से बड़े हिस्से के बाजार मूल्य पर आर्टिकल 23 अनुसार मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है। मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 31 की प्रविष्टि उद्धरित करना समीचीन होगा –

Article No.	Description of Instrument	Proper Stamp Duty
31.	Exchange of property -instrument	The same as conveyance (No. 23) for a consideration equal to the value of property of greater value as set forth in the instrument.

लगातार.....4

अतः विनिमय के दस्तावेज पर कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाकर कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 11.10.2000 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
21/4/14